



महानगर लखनऊ-226006
फोन : 0522-2337452
फैक्स नं० : 0522-2337453
सीयूजी : 9454400136
Email : sec1@uppac.net

पीएसी मुख्यालय प्रदेश

पीएसी-1-153(01)2023/1564
दिनांक: जून / 4, 2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:दस-245/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-UPPRPB-PROMOPROM(4301)/01/2023PROM-SEC दिनांक 01.01.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2023 की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त पाये गये निम्नलिखित मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/पीएसी को उनकी सेवानिवृत्ति एक वर्ष से कम होने के कारण वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है, यह पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी:-

क्र०सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	624	830670347	नरेश प्रसाद सिंह	20वीं आजमगढ़।	2023
2	629	830500073	मुरलीधर	30वीं गोण्डा	2023
3	630	830530122	रविन्द्र नाथ राय	34वीं वाराणसी	2023
4	631	830570054	राजेन्द्र यादव	48वीं सोनभद्र	2023
5	632	830500060	हीरामन	34वीं वाराणसी	2023
6	634	830490053	राम प्रकाश प्रचेता	30वीं गोण्डा	2023
7	635	830570184	गोरख प्रसाद	26वीं गोरखपुर	2023
8	636	830660098	रामलाल सिंह यादव	39वीं मीरजापुर	2023

9	637	830650114	इन्द्रदेव यादव	35वीं लखनऊ	2023
10	638	830640139	हरिमोहन राय	4वीं प्रयागराज	2023
11	639	830530148	रामअशीष यादव	36वीं वाराणसी	2023
12	640	830520075	गोपाल सिंह	मथुरा	2023
13	643	830510061	आशेन्द्र कुमार सिंह	37वीं कानपुर	2023
14	644	830570070	जय प्रकाश यादव	26वीं गोरखपुर	2023
15	647	830670275	शैलेन्द्र सिंह	37वीं कानपुर	2023
16	649	830680058	रक्षपाल सिंह	कासगंज	2023
17	650	830590069	अनिल कुमार दुबे	43वीं एटा	2023
18	652	830520134	नवाव सिंह	मैनपुरी	2023
19	653	830760176	सुरेश चन्द्र	आगरा	2023
20	657	830650169	दिनेश प्रसाद	उ०प्र०वि०परि०सु० लखनऊ वाहिनी,	2023
21	661	830750061	अजब सिंह	38वीं अलीगढ़।	2023
22	664	830590098	सुरेन्द्र सिंह	बहराइच	2023
23	665	830490109	शिव मूर्ति सिंह	10वीं बाराबंकी	2023

2- यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उसे उसके नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी को पदोन्नति की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस से संलग्न प्रारूप-क में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।


(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित कर्मियों की पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- उक्त कार्मिकों में से जो कर्मियों मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस पद विषयक आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किये है उनके पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य आरक्षी सशस्त्र/पीएसी पद विषयक आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

संलग्नक: प्रारूप(क)



(आशुतोष कुमार)

पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,

उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस आयुक्त, आगरा।

2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद मथुरा/मैनपुरी/कासगंज/बहराइच।

3-सेनानायक, 04वीं/10वीं/20वीं/26वीं/30वीं/34वीं/35वीं/36वीं/37वीं/38वीं/39वीं/43वीं/48वीं वाहिनी पीएसी उ०प्र०।

4-सेनानायक, उ०प्र० विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी लखनऊ।

मैं.....(नाम/पदनाम व
पीएनओ)..... पुत्र.....निवासी
.....थाना..... जनपद.....वर्तमान
में (जनपद/इकाई का नाम) नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र
..... का मुख्य आरक्षी हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

- 2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण
.....
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध
मु०अ०सं०.....धारा.....थाना.....
जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।